CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

दक्षिण चीन सागर विवाद

चीन ने 'आसियान देशों' से 'दक्षिण चीन सागर'(South China Sea) के लिए 'आचार संहिता' की रूपरेखा पर बातचीत तेज करने को कहा है।

पृष्ठभूमि:

अगले साल, 'दक्षिणी चीन सागर में पक्षकारों के बरताव पर घोषणा' (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea – DOC) पर हस्ताक्षर किए जाने की 20वीं वर्षगांठ है। चीन, इस अवसर को स्मरणीय गतिविधियों के साथ मनाने हेतु 'आसियान देशों' के साथ काम करने का इच्छुक है।

इस घोषणा के बारे में:

नवंबर 2002 में, चीन और आसियान समूह के दस राष्ट्रों ने 'दक्षिणी चीन सागर' में पक्षकारों के बरताव पर एक गैर-बाध्यकारी घोषणा (DoC) पर हस्ताक्षर किए थे।

- इस दस्तावेज़ में सभी ग्यारह पक्षकारों द्वारा एक बाध्यकारी आचार संहिता तैयार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्ज की गयी थी।
- दस्तावेज़ के अनुसार, "दक्षिणी चीन सागर में एक आचार संहिता अपनाए जाने से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को और बढ़ावा मिलेगा।"

समग्र प्रकरण:

दक्षिणी चीन सागर में, बीजिंग द्वारा कई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अतिव्यापी क्षेत्रीय दावा किया जाता रहा है।

- दक्षिणी चीन सागर पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम अपना दावा करते हैं, जबकि चीन, संसाधन-समृद्ध लगभग पूरे समुद्रीय क्षेत्र पर अपना प्रतिस्पर्धी दावा करता है। विदित हो कि, अरबों डॉलर सालाना का व्यापार करने वाले जहाज इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।
- बीजिंग पर जहाज-रोधी मिसाइलों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित सैन्य उपकरण तैनात करने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, चीन द्वारा वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए के एक फैसले को भी अनदेखा किया गया है, जिसमे चीन द्वारा अधिकांश जल-क्षेत्र पर किए जा रहे ऐतिहासिक दावे को बिना आधार के घोषित किया गया था।

'दक्षिण चीन सागर' की अवस्थिति:

दक्षिण चीन सागर, दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है।

- यह, चीन के दक्षिण, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण, फिलीपींस के पश्चिम और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में अवस्थित है।
- यह, **ताइवान जलडमरूमध्य** द्वारा 'पूर्वी चीन सागर' और **'लूजॉन स्ट्रेट'** के माध्यम से 'फिलीपीन सागर' से जुड़ा हुआ है।
- **सीमावर्ती देश और भू-भाग:** जनवादी चीन गणराज्य, चीन गणराज्य (ताइवान), फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।

सामरिक महत्व:

- 'दक्षिणी चीन सागर' अपनी अवस्थिति के कारण सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर (मलक्का जलसन्धि) के बीच संपर्क-कड़ी है।
- 'संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभिसमय' (**United Nations Conference on Trade And Development– UNCTAD**) के अनुसार, वैश्विक नौपरिवहन का एक-तिहाई भाग 'दक्षिणी चीन सागर' से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा अरबों का व्यापार होता है। इस कारण भी यह एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक जल निकाय है।

दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित द्वीपों पर विभिन्न देशों के दावे:

- **'पारसेल द्वीप समूह'** (Paracels Islands) पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है।
- **स्प्रैटली द्वीप समूह' (Spratley Islands)** पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है।
- **स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal)** पर फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है।
- वर्ष 2010 से, चीन द्वारा निर्जन टापुओं को, 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी' (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के अंतर्गत

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

लाने के लिए, कृत्रिम टापुओं में परिवर्तित किया जा रहा है। (उदाहरण के लिए, हेवन रीफ, जॉनसन साउथ रीफ और फेरी क्रॉस रीफ)।

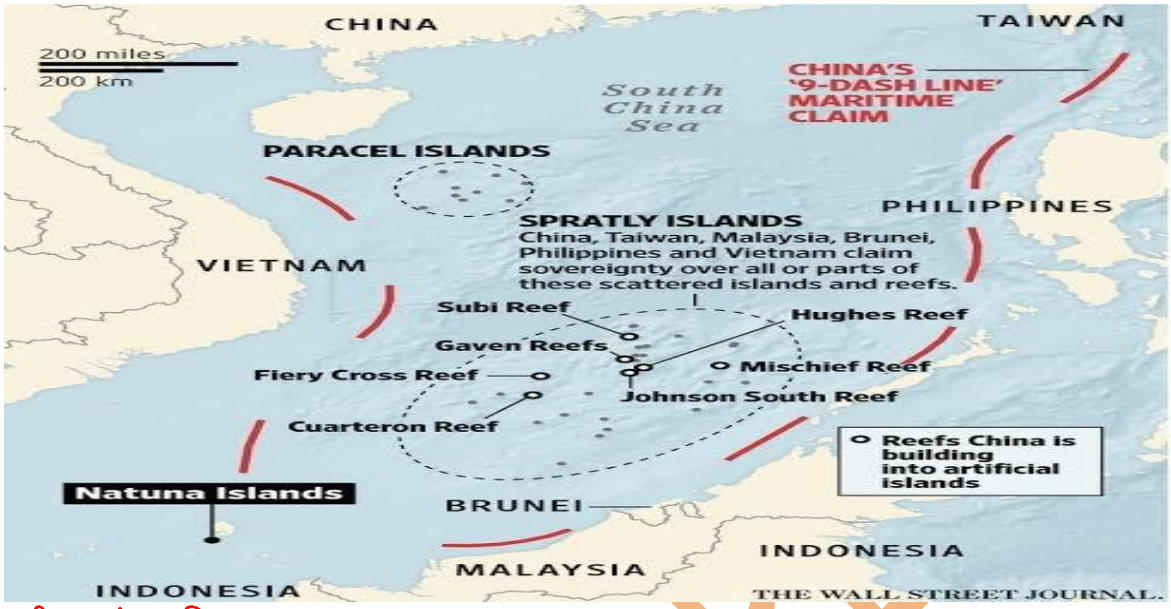

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) के अधीन एक समिति द्वारा संकलित एक दस्तावेज के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register – NPR) के नवीनतम प्रारूप में संभवतः "मातृभाषा, पिता और माता का जन्म स्थान और निवास का अंतिम स्थान" जैसे विवादास्पद प्रश्नों को बरकरार रखा गया है।

संबंधित प्रकरण:

'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' को पहली बार वर्ष 2010 में संकलित किया गया और फिर 2015 में इसे अद्यतन किया गया था। सितंबर 2019 में 30 लाख उत्तरदाताओं से संबंधित एक परीक्षण प्रक्रिया में कुछ नए सवाल जोड़े गए थे।

चूंकि, 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (NPR) नागरिकता नियम, 2003 के अनुसार, 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (National Register of Citizens- NRC) के संकलन की दिशा में पहला कदम है, इसलिए देश में कई राज्यों और नागरिक समूहों द्वारा इस परीक्षण प्रक्रिया का विरोध किया गया जा रहा है।

'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' और 'जनगणना' में अंतर:

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का उद्देश्य देश के प्रत्येक आम नागरिक की विस्तृत पहचान का डेटाबेस तैयार करना है, और भारत के प्रत्येक 'सामान्य निवासी' के लिये 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। यद्यपि, जनगणना (Census) के माध्यम से भी समान विवरण एकत्र किया जाता है, किंतु 'जनगणना अधिनियम', 1948 की धारा 15 के अनुसार, जनगणना में एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत स्तर की जानकारी गोपनीय होती है और "एकत्रित डेटा को केवल विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर जारी किया जाता है।"

'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' की आलोचनाएं:

प्रस्तावित 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (NRC) और लागू किए जाने वाले 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (CAA) के साथ 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (NPR) के संबधों को देखते हुए कई विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों द्वारा NPR की अद्यतन प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है।

वर्ष 2003 में बनाए गए नागरिकता नियमों के अनुसार, 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर', भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के संकलन की दिशा में पहला कदम है।

'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' क्या है?

'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (NPR), देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर होता है, जिसमे गांव स्तर तक स्थान आदि का विवरण दर्ज किया जाता है। "जन्म, मृत्यु

CAREER PLUS

और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए" समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाता है।

'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' के अगले चरण को वर्ष 2021 में किए जाने वाले 'मकान-सूचीकरण' और मकान-गणना के साथ अपडेट किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

'सामान्य निवासी' कौन है?

गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' - वह व्यक्ति, जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता है अथवा अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक के लिये किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।

न्यूमोकोकल 13-वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग में रूप में 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' (Universal Immunisation Programme – UIP) के तहत न्यूमोकोकल 13-वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन (Pneumococcal 13-valent Conjugate Vaccine – PCV) को राष्ट्रव्यापी स्तर पर उपलब्ध कराए जाने हेतु एक अभियान का शुभारंभ किया।

न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV) देश में पहली बार 'सार्वभौमिक उपयोग' के लिए उपलब्ध होगा।

PCV13, न्यूमोकोकल रोग पैदा करने वाले 13 प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा करता है।

निमोनिया क्या है?

न्यूमोकोकल के कारण होने वाला निमोनिया बच्चों में गंभीर निमोनिया (Pneumonia) रोग का सबसे आम कारण है।

निमोनिया विश्व स्तर पर और भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। भारत में लगभग 16 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है।

'न्यूमोकोकल रोग' क्या होते है?

न्यूमोकोकल बीमारियों (Pneumococcal disease) का तात्पर्य न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण होने वाली किसी भी बीमारी से होता है। यह बैक्टीरिया, निमोनिया (जोकि फेफड़ों का संक्रमण होता है) सहित कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, निमोनिया के सबसे आम कारणों में से एक है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:

वर्ष 1985 में शुरू किया गया 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' (UIP) सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें सालाना करीब 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को कवर किया जाता है।

'यूआईपी' के तहत टीके से बचाव योग्य 12 बीमारियों के खिलाफ नि:शुल्क टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर 10 बीमारियों- डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, तपेदिक का गंभीर रूप, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला मेनिनजाइटिस और निमोनिया- के खिलाफ टीकारकण चलाया जा रहा है।

CEEW का 'जलवायु भेद्यता सूचकांक'

हाल ही में, एक पर्यावरण थिंक टैंक 'ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद्' (Council on Energy, Environment and Water – CEEW) द्वारा अपनी तरह का पहला जिला-स्तरीय 'जलवायु भेद्यता आकलन', या 'जलवायु भेद्यता सूचकांक' (Climate Vulnerability Index – CVI) तैयार किया गया है।

'जलवायु भेद्यता आकलन' के तहत, CEEW द्वारा चक्रवात, बाढ़, गर्मी की लहरों, सूखे आदि जैसी चरम मौसम घटनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का आकलन करने हेतु भारत के 640 जिलों का विश्लेषण किया है।

'जलवायु भेद्यता सूचकांक' के प्रमुख निष्कर्ष:

असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार राज्य, भारत में बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चरम जलवायु घटनाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

27 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 'चरम जलवायु' संबंधी घटनाओं की चपेट में हैं, तथा देश के 640 जिलों में से 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखे एवं चक्रवातों जैसी चरम मौसम की घटनाओं के प्रति सुभेद्य हैं।

असम में धेमाजी एवं नागांव, तेलंगाना में खम्माम, ओडिशा में गजपति, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम, महाराष्ट्र में सांगली एवं तमिलनाडु में चेन्नई, भारत के सबसे संवेदनशील जिले हैं।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

80 प्रतिशत से अधिक भारतीय जलवायु जोखिम के प्रति संवेदनशील जिलों में निवास करते हैं, अर्थात देश में 20 में से 17 व्यक्ति जलवायु जोखिमों के प्रति सुभेद्य हैं, जिनमें से प्रत्येक पांच भारतीय अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्रों में निवास करते हैं।

भारत के पूर्वोत्तर के राज्य बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जबकि दक्षिण एवं मध्य राज्य अत्यधिक सूखे की चपेट में हैं।

जिलों का आकलन करने की विधि:

सूचकांक में, किसी राज्य या जिले की तैयारियों का आकलन करते समय कुछ संकेतकों को ध्यान में रखा गया है।

इसमें चक्रवात और बाढ़ के दौरन आश्रय-स्थलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और चरम मौसम की घटना से पहले, घटना के दौरान और बाद व्यक्तियों और पशुओं को सुरक्षित करने, भोजन का प्रबंध करने जैसी 'मानक संचालन प्रक्रियाओं' को अद्यतन करने सहित सरकारी तंत्र की उपलब्धता तथा प्रशासन द्वारा जीवन और आजीविका की क्षति को रोकने हेतु की जा रही कार्यवाही हेतु आपदा प्रबंधन योजनाओं, शमन रणनीतियों आदि को शामिल किया गया है।

सूचकांक की प्रासंगिकता:

यह जलवायु- अभेद्य समुदायों, अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे के माध्यम से 'अनुकूलन' और 'तन्यकता' (resilience) में वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण कमजोरियों को मापने तथा योजना रणनीतियों को तैयार करने में मदद करता है।

इस अध्ययन में 'जलवायु चरम स्थिति' को अलग-थलग करने के बजाय, बाढ़, चक्रवात और सूखा संबंधी जल-मौसमी आपदाओं के संयुक्त जोखिम और उसके प्रभाव को केंद्र में रखा गया है।

इस अध्ययन में, भूकंप जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है।

जलवायु भेद्यता सूचकांक में दिए गए सुझाव:

जिला स्तर पर महत्वपूर्ण कमजोरियों का मानचित्रण करने, तथा गर्मी और पानी की कमी, फसल हानि, वेक्टर-जनित जोखिमों, और जैव विविधता विनाश और चरम जलवायु घटनाओं की बेहतर पहचान, आकलन करने और योजना-निर्माण हेतु एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले 'जलवायु जोखिम एटलस' (Climate Risk Atlas – CRA) विकसित की जानी चाहिए।

पर्यावरण को जोखिम मुक्त करने हेतु शुरू किए गए अभियानों के समन्वय हेतु एक केंद्रीकृत जलवायु-जोखिम आयोग की स्थापना की जाए।

विकास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्वास, पुनर्स्थापन और पुन: एकीकरण पर केंद्रित 'जलवायु-संवेदनशीलता' को प्राथमिकता देते हुए 'परिदृश्य बहाली' का कार्य आरंभ किया जाए।

अनुकूलन क्षमता बढ़ाने हेतु अवसंरचना परियोजनाओं में 'जलवायु जोखिम रूपरेखा' को शामिल किया जाए।

एक प्रभावी जोखिम स्थांतरण तंत्र को जलवायु जोखिमों से एकीकृत करने हेतु नवीन CVI-आधारित वित्तपोषण उपकरणों को तैयार करके जलवायु जोखिम से संबंधित अनुकूलन वित्तपोषण उपलब्ध किया जाए।

वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड

COP26 के दूसरे दिन, भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सौर ऊर्जा का दोहन करने और सीमाओं के पार निर्बाध रूप से संचारण करने हेतु 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' (One Sun One World One Grid- OSOWOG) पहल की घोषणा की गई।

OSOWOG पहल के बारे में:

वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत द्वारा वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने हेतु एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' (OSOWOG) पहल का प्रस्ताव किया गया था।

इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबद्ध कर एक वैश्विक पारितंत्र का निर्माण करना है।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

OSOWOG पहल के पीछे की परिकल्पना है, कि 'सूर्य कभी अस्त नहीं होता है' (The Sun Never Sets) और वैश्विक स्तर पर, किसी भी भौगोलिक स्थिति में, एक निश्चित समय पर सदैव स्थिर रहता है।

कार्यान्वयन:
राष्ट्रीय सीमाओं के पार विस्तारित, महाद्वीपीय-स्तर के ग्रिड द्वारा परस्पर संबद्ध सर्वोत्तम स्थानों पर बड़े सौर ऊर्जा स्टेशनों और पवन फार्मों के निर्माण में तेजी लाने की दिशा में, एक मंत्रिस्तरीय संचालन समूह द्वारा कार्य किया जाएगा।
इस मंत्रिस्तरीय संचालन समूह में फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, और इसमें अफ्रीका, खाड़ी, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

विश्व ग्रिड का महत्व:
एक विश्वव्यापी ग्रिड (one worldwide grid) के साथ, हम सभी स्थानों पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इससे ऊर्जा के भंडारण की आवश्यकता भी कम होगी और सौर परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ेगी।

OSOWOG पहल के अंतर्गत संभावनाएं तथा लाभ

भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% ऊर्जा उत्पादित करने में सक्षम हो जायेगा तथा भारत ने एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' (OSOWOG) का मंत्र देते हुए सौर ऊर्जा आपूर्ति को परस्पर संबद्ध करने के लिए सभी देशों का आह्वान किया है।

प्रस्तावित एकीकरण सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए परियोजना लागतों को कम करेगा और उच्च दक्षता तथा परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देगा।

इस योजना के लिए केवल वृद्धिशील निवेश की आवश्यकता होगी, इस योजना में मौजूदा ग्रिड के कार्यशील होने के कारण नई समानांतर ग्रिड अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होगी।

यह योजना सभी सहभागी संस्थाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्त के उपयोग करने में मदद करेगी।

इस योजना के परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक लाभ से गरीबी उन्मूलन, जल, स्वच्छता, भोजन और अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

यह पहल, भारत में स्थित राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रबंधन केंद्रों के रूप में विकसित करने में सहायता करेगी।

OSOWOG पहल से वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर, लगभग 2,600 GW इंटरकनेक्शन क्षमता संभव हो सकती है, जिससे प्रति वर्ष 226 बिलियन यूरो की अनुमानित बिजली बचत होगी।

'वन सन' घोषणा:
OSOWOG पहल की घोषणा के साथ "एक सूर्य घोषणा" (One Sun Declaration) भी की गयी, जिसमें कहा गया है कि, "एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' की परिकल्पना को परस्पर संबद्ध हरित ग्रिड के माध्यम से साकार करना परिवर्तनकारी हो सकता है, जिससे हम सभी को, विनाशकारी जलवायु परिवर्तन को रोकने, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'पेरिस समझौते' के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इस घोषणा का 80 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सदस्य देशों द्वारा समर्थन किया गया है।

खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक, 2021

हाल ही में, मेघालय राज्य की एक 'जिला स्वायत्त परिषद' द्वारा 'खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक', 2021 (Khasi Inheritance of Property Bill, 2021) पेश करने की घोषणा की गयी।

इस विधेयक का उद्देश्य, खासी समुदाय में भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का "समान वितरण" करना है।

निहितार्थ:

यदि यह प्रस्तावित विधेयक लागू कर दिया जाता है, तो इससे खासी जनजाति में सदियों से चली आ रही मातृवंशीय विरासत की प्रथा में संशोधन होगा।

विधेयक के उद्देश्य एवं लक्ष्य:

माता-पिता की संपत्ति का भाई-बहनों के बीच समान वितरण।

माता-पिता को यह निर्णय करने का अधिकार होगा, कि वे अपनी संपत्ति विरासत में किसको देना चाहते हैं।

भाई-बहन में से किसी के भी द्वारा, गैर खासी-व्यक्ति से विवाह करने और जीवनसाथी के रीति-रिवाजों और संस्कृति को स्वीकार करने पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिए जाने पर रोक लगाना।

विधेयक की आवश्यकता:
कई बार वयस्क पुरुषों को ऋण लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जमानत के रूप में दिखाने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती है। जब कभी किसी दंपत्ति के कोई संतान नहीं होती है, और उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी भी नहीं होता है, तो प्रथा के अनुसार उनकी संपत्ति पर उनके 'कबीले' का अधिकार हो जाता है। इस सबकी वजह से बच्चों द्वारा अपने माता-पिता के खिलाफ मुकदमेबाजी के मामले देखे हैं।

मेघालय में मातृवंशीय व्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण में विरोधाभास:

संरक्षकत्व / कस्टोडियनशिप (Custodianship) को प्रायः गलत तरीके से समझा जाता है, कि संपत्ति का स्वामित्व केवल एक व्यक्ति, अर्थात परिवार की सबसे छोटी बेटी में निहित होता है। जबकि, संरक्षकता के अधिकार के साथ, वृद्ध माता-पिता, अविवाहित या निराश्रित भाई-बहनों और कबीले के अन्य सदस्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी जुडी होती है।

इसके अलावा, संरक्षक / कस्टोडियन को अपने मामा की अनुमति के बगैर जमीन खरीद या बेचने का अधिकार नहीं होता है।

साथ ही, संरक्षक के अधिकार में आने वाली अधिकांश संपत्ति, कबीले की संपत्ति या सामुदायिक संपत्ति होती है।

मेघालय में मातृवंशीय प्रथा:
मेघालय की तीन जनजातियों – खासी, जयंतिया और गारो – विरासत के संबंध में 'मातृवंशीय प्रथा' (Matrilineal System of Inheritance) का प्रचलन है। इस प्रथा में, कुल और वंश की जानकारी, माता के वंश से पता चलती है।

इस प्रथा में, बच्चों को माँ का उपनाम प्राप्त होता है, विवाह के पश्चात् पति को पत्नी के घर रहना होता है, और परिवार की सबसे छोटी बेटी (खतदुह – Khatduh) को पुश्तैनी या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा विरासत में दिया जाता है।

प्रथा के अनुसार, 'खतदुह' अपनी मां के भाई अर्थात मामा की अनुमति के बगैर अपनी संपत्ति नहीं बेच सकती और, चूंकि तकनीकी रूप से वह अपनी मां के कबीले से जुडी होती है, जिसके माध्यम से उसके वंश का पता चलता है।

यह विरासत परंपरा, केवल वर्षों से परिवार के अधिकार में चली आ रही पैतृक या कबीले/सामुदायिक संपत्ति पर लागू होती है।

इस पारंपरिक व्यवस्था में, यदि किसी दंपति के कोई बेटी नहीं होती है, तो उसकी संपत्ति 'पत्नी' की बड़ी बहन और उसकी बेटियों के पास चली जाती है, और यदि पत्नी की भी कोई बहन नहीं होती है, तो आमतौर पर कबीला, संपत्ति पर कब्जा कर लेता है।

तकनीकी वस्त्र

केंद्र सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों में तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) के निर्यात में पांच गुना वृद्धि का लक्ष्य बनाया जा रहा है।

तकनीकी वस्त्र बाजार और इसमें भारत का हिस्सा:

तकनीकी वस्त्रों का वर्तमान वैश्विक बाजार 250 अरब डॉलर (18 लाख करोड़) का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी 19 अरब डॉलर है।

भारत (8 प्रतिशत हिस्सेदारी) इस बाजार में 40 अरब डालर के साथ एक महत्वाकांक्षी भागीदार है।

इसमें सबसे बड़े भागीदार अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान हैं।

इस संबंध में सरकार के प्रयास:
जनवरी 2019 में भारत में पहली बार तकनीकी वस्त्र के लिए 207 एचएसएन कोड (HSN Codes for

technical textiles) जारी किए गए और दो साल से भी कम समय में भारत तकनीकी वस्त्र का शुद्ध निर्यातक बन गया है।

भारत सरकार द्वारा पिछले साल फरवरी माह में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का भी अनावरण किया गया।

कृषि/बागवानी, राजमार्ग, रेलवे, जल संसाधन, चिकित्सा अनुप्रयोगों को कवर करने वाले सरकारी संगठनों के उपयोग के लिए 92 वस्तुओं को अनिवार्य कर दिया गया है।

'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' के बारे में:

वर्ष 2020 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा एक 1,480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।

उद्देश्य:
देश को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना तथा घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग में वृद्धि करना।

यह मिशन 2020-2021 से आरंभ होकर चार वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और इसमें चार घटक होंगे:
पहले घटक में 'अनुसंधान, नवाचार और विकास' पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इस घटक में 1,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसमें फाइबर तथा भू-टेक्सटाइल, कृषि-टेक्सटाइल, चिकित्सा-टेक्सटाइल, मोबाइल-टेक्सटाइल और खेल-टेक्सटाइल के विकास पर आधारित अनुसंधान अनुप्रयोगों दोनों स्तर पर अनुसंधान किया जाएगा तथा जैव-निम्नीकरणीय तकनीकी वस्त्रों का विकास किया जाएगा।

दूसरा घटक तकनीकी वस्त्रों के संवर्द्धन और विपणन विकास पर केन्द्रित होगा। इस घटक के तहत मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार का आकार $ 40 बिलियन से बढाकर $ 50 बिलियन तक करने का निर्धारित किया गया है।

तीसरा घटक निर्यात संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके तहत देश में तकनीकी कपड़ा निर्यात को 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2021-2022 तक 20,000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा और मिशन के समाप्त होने तक हर साल 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

अंतिम घटक में 'शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
'तकनीकी वस्त्र' क्या होते हैं?
कनीकी वस्त्रों को मुख्य रूप से, सौंदर्यपरक विशेषताओं की अपेक्षा तकनीकी कार्य निष्पादन और कार्यात्मक आवश्यकताओं लिए निर्मित वस्त्र सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

तकनीकी वस्त्र उत्पादों को उनके अनुप्रयोग क्षेत्रों के आधार पर 12 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

	Agrotech Horticulture + landscape gardening, agriculture + forestry, animal keeping		**Meditech** Hygiene, medicine
	Buildtech Membrane, lightweight + massive construction, engineering + industrial building.		**Mobiltech** Cars, ships, aircraft, trains, space travel
	Clothtech Garments, shoes		**Oekotech** Environmental protection, recycling, waste disposal
	Geotech Road infrastructure, Railways, Irrigation and Hydraulic structures, Waste Landfills, Dams etc.		**Packtech** Packaging, protective-cover systems, sacks, big bags, container systems
	Hometech Furniture, upholstery + interior furnishing, rugs, floor coverings		**Protech** Person and property protection
	Indutech Filtration, cleaning, mechanical engineering, chemical industry		**Sporttech** Sport and leisure, active wear, outdoor, sport articles.

आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड के केदारनाथ में 'आदि शंकराचार्य' (Adi Shankaracharya) की एक 12 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऐसा माना जाता है, कि नौवीं शताब्दी में इसी स्थान पर 'आदि शंकराचार्य' ने 32 वर्ष की आयु में समाधि ग्रहण की थी।

'आदि शंकराचार्य' के बारे में:
'आदि शंकराचार्य' का जन्म केरल राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी 'पेरियार' के तट पर स्थित 'कलाड़ी' (Kaladi) नामक गांव में हुआ था।

वे प्रसिद्ध विद्वान 'गोविंदाचार्य' के शिष्य थे।

शंकराचार्य, आजीवन अद्वैत वेदांत का ध्वज लेकर निरतंर आगे बढ़ते हुए, बौद्ध और जैन धर्म सहित प्रचलित दार्शनिक परंपराओं को चुनौती देते रहे।

ऐसा माना जाता है, कि उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों में अनुष्ठान प्रथाओं की स्थापना की थी।

साहित्यिक रचनाएँ:
आदि शंकराचार्य को आम तौर पर 116 रचनाओं के सृजक के रूप में जाना जाता है – इनमें दस उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता पर प्रसिद्ध भाष्य, और विवेकचूड़ामणि, मनीषा पंचकम, और सौंदर्यलाहिरी आदि काव्य रचनाएँ शामिल हैं।
उन्होंने शंकरस्मृति जैसे ग्रंथों की भी रचना की, जिसमे 'नंबूदरी ब्राह्मणों' को सामाजिक तौर पर शीर्ष स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

'अद्वैत वेदांत' क्या है?
अद्वैत वेदांत में 'कट्टर अद्वैतवाद' के दर्शन को सुस्पष्ट किया गया है। इस संशोधनवादी विश्व दर्शन का स्रोत प्राचीन उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होता है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

अद्वैत वेदांतियों के अनुसार, उपनिषदों में 'अद्वैत' के एक मौलिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जिसे 'ब्राह्मण' कहा जाता है और यही सभी चीजों की वास्तविकता है।

अद्वैतवादी 'ब्रह्म' को पारलौकिक सत्ता और अनुभवजन्य अनेक्य के रूप में मानते हैं। इनके अनुसार, व्यक्ति की अहं (आत्मा) का मूल तत्व 'ब्रह्म' होता है। अद्वैत वेदांत में मूल बल इस बात पर दिया जाता है, कि आत्मा एक विशुद्ध इच्छा रहित चेतना होती है।

यह अद्वितीय, अद्वैत, अनंत जीव और संख्यात्मक रूप से 'ब्रह्म' के समान होती है।

'शंकर' की विवादित परंपरा:

आदि शंकराचार्य के दर्शन का सार, इस अनेकों बार उद्धृत सूत्रीकरण में निहित है: "ब्रह्मा सत्यं जगन-मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः" (अर्थात, केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह दुनिया एक भ्रम है / और जीव ब्रह्म से पृथक नहीं है)।

जाति व्यवस्था के संरक्षको द्वारा असमान और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सही ठहराने के लिए 'शंकर' की टीका-टिप्पणियों का हवाला दिया जाता है, जबकि अन्य विद्वानों द्वारा इसे 'वाग्विस्तार' बताया जाता है और ये आचार्य शंकर के दृष्टिकोण के दूसरे पहलू को समझने के लिए 'मनीषा पंचकम' जैसी रचनाओं को पढ़ने का सुझाव देते हैं।

शंकर के दर्शन की व्याख्या करने वालों में 'श्री नारायण गुरु' सहित अन्य विद्वान् भी शामिल है, जो कहते हैं कि 'अद्वैत वेदांत' में 'बौद्ध विचारकों' की कोटियों को उधार लिया गया है, और इस दर्शन को 'प्रछन्न बुद्ध' बताते हैं। 'श्री नारायण गुरु' ने 20वीं शताब्दी में 'जाति के सिद्धांत और प्रथाओं को खत्म करने के लिए 'अद्वैत वेदांत' के मूल स्वरूप को पड़े जाने का प्रस्ताव दिया था।

वैश्विक मीथेन संकल्प

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित 'संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन' में 'वैश्विक मीथेन संकल्प' / 'ग्लोबल मीथेन प्लेज' (Global Methane Pledge) की शुरुआत की गयी थी।

यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के संयुक्त नेतृत्व में शुरू किया गया एक प्रयास है।

इस संकल्प पर अब तक 90 से अधिक देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

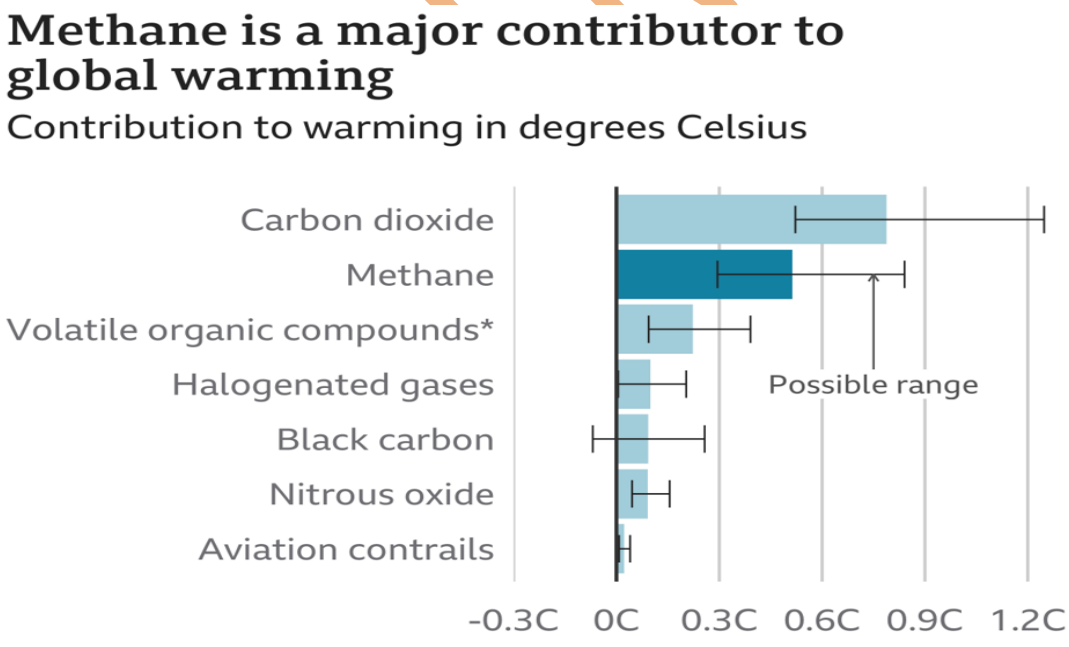

Figures are for contributions to 2010-2019 warming relative to 1850-1900
*Volatile organic compounds and carbon monoxide

'वैश्विक मीथेन संकल्प' के बारे में:

इस संकल्प की घोषणा पहली बार सितंबर में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा की गई थी। यह मुख्यतः इस दशक

के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में एक तिहाई की कटौती करने हेतु एक समझौता है।

इस समझौते का एक मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को, वर्ष 2020 के स्तर से 30 प्रतिशत तक कम करना है।

मीथेन उत्सर्जन को सीमित करने की आवश्यकता:

मीथेन (Methane- CH4), 'कार्बन डाइऑक्साइड' के बाद वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पायी जाने वाले दूसरी ग्रीनहाउस गैस है, और इसलिए, मीथेन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित संकल्प काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व-औद्योगिक युग के बाद से वैश्विक औसत तापमान में हुई 1.0 डिग्री सेल्सियस शुद्ध वृद्धि में लगभग आधी वृद्धि 'मीथेन' की वजह से हुई है।

मीथेन उत्सर्जन में तेजी से कटौती का किया जाना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों पर की जाने वाली कार्रवाई का एक पूरक है, और इसे निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति के रूप में माना जाता है।

'जलवायु परिवर्तन' के लिए मीथेन से निपटना क्यों महत्वपूर्ण है?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, यद्यपि 'मीथेन' का वायुमंडलीय जीवनकाल (CO_2 के सदियों के जीवनकाल तुलना में 12 वर्ष) बहुत कम होता है, फिर भी यह बहुत अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, और वातावरण में रहने के दौरान काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करती है।

मीथेन से संबंधित अपनी तथ्य-तालिका में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'मीथेन' को शक्तिशाली प्रदूषक के रूप में दर्ज किया गया है, इसके अलावा वायुमंडल में छोड़े जाने के लगभग 20 साल बाद भी इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्षमता 'कार्बन डाइऑक्साइड' से 80 गुना अधिक होती है।

महत्वपूर्ण रूप से, 2.3 प्रतिशत की औसत मीथेन रिसाव दर "कोयले की बजाय गैस से होने वाले अधिकांश जलवायु लाभ को नष्ट कर देती है"।

IEA के अनुसार, 75 प्रतिशत से अधिक मीथेन उत्सर्जन को वर्तमान मौजूदा तकनीकों से समाप्त किया जा सकता है, और इसमें से 40 प्रतिशत तक उत्सर्जन की सामप्ति बिना किसी अतिरिक्त लागत के की जा सकती है।

मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के स्रोत:

मानव-निर्मित मीथेन का अधिकांश उत्सर्जन तीन क्षेत्रों से होता है: जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट और कृषि।

जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में, तेल और गैस निष्कर्षण, प्रसंस्करण और वितरण, 23 प्रतिशत मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। कोयला खनन में 12 प्रतिशत मीथेन उत्सर्जन होता है।

अपशिष्ट क्षेत्र में, अपशिष्ट भरावक्षेत्र और अपशिष्ट जल से लगभग 20 प्रतिशत मीथेन उत्सर्जन होता है।

कृषि क्षेत्र में, मवेशियों के गोबर और आंत्रिक किण्वन से लगभग 32 प्रतिशत तथा धान की खेती से 8 प्रतिशत मीथेन उत्सर्जन होता है।

विभिन्न देशों की उत्सर्जन कटौती क्षमता में अंतर:

यूरोप में खेती, जीवाश्म ईंधन परिचालन और अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने की सर्वाधिक क्षमता है।

भारत के पास, अपशिष्ट क्षेत्र से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने की सर्वाधिक क्षमता है।

कोयला उत्पादन और पशुधन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का शमन करने में चीन, पशुधन और तेल एवं गैस से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का शमन करने में अफ्रीका की क्षमता सर्वाधिक है।

जीवाश्म ईंधन उद्योग में कम लागत वाली मीथेन कटौती करने की सर्वाधिक क्षमता है।

सुझाव:

जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए।

इस तरह की कटौती से वर्ष 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि रोकी जा सकती है।

इससे वार्षिक रूप से होने वाली 260,000 असामयिक मौतों, 775,000 अस्थमा से संबंधित अस्पताल के दौरों तथा 25 मिलियन टन फसल-हानि को भी रोका जा सकता है।

व्यवहार में किए जाने वाले तीन परिवर्तन – खाद्य अपशिष्ट और भोजन-सामग्री के नुकसान को कम करना, पशुधन प्रबंधन में सुधार और स्वस्थ आहार (शाकाहारी या कम मांस और डेयरी उत्पाद) को अपनाना – अगले कुछ दशकों में प्रति वर्ष 65-80 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते है।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

निष्पक्ष व्यापार नियामक 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (Competition Commission of India – CCI) द्वारा अपने द्वारा किए गए बाजार अध्ययन के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के पश्चात दवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने हेतु देश के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने संबंधी उपायों को चिह्नित किया जाएगा।

आवश्यकता:

'उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी विकल्पों के अभाव' जैसे मुद्दों को देखते हुए 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (CCI) द्वारा बाजार का एक अध्ययन शुरू किया गया है।

वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि, जब दवाओं की बात आती है, तो प्रतिस्पर्धा कीमतों के आधार पर होने की बजाय मुख्य रूप से ब्रांडों के आधार पर होती है। 'प्रतिस्पर्धा आयोग' का यह अध्ययन दवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने हेतु 'प्रतिस्पर्धा' बढ़ाने संबंधी उपायों की पहचान करेगा।

भारतीय फार्मा उद्योग:

भारत को वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल है तथा भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है।

भारतीय दवा उद्योग, विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की मांग का 40% तथा यूनाइटेड किंगडम की दवा संबंधी कुल माँग के 25% भाग की आपूर्ति करता है।

वर्तमान में, विश्व स्तर पर AIDS (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम) से निपटने के लिए प्रयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटीरेट्रोवाइरल दवाईयां, भारतीय दवा कंपनियों द्वारा की जाती है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार, मात्रा के संदर्भ में विश्व का तीसरा और कीमतों के संदर्भ में तेरहवां सबसे बड़ा बाजार है। भारत, फार्मा क्षेत्र में एक वैश्विक विनिर्माण और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है।

भारत ने दवाओं की विनिर्माण लागत, अमेरिका की तुलना में कम और यूरोप की तुलना में लगभग आधी तथा विश्व में सबसे कम है।

भारतीय फार्मा उद्योग के समक्ष चुनौतियां:

निर्भरता: भारतीय दवा उद्योग, दवाओं हेतु कच्चे माल के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है। इन कच्चे माल को 'सक्रिय औषधीय सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredients- API) कहा जाता है, तथा इसे बल्क ड्रग्स के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय दवा निर्माता, अपनी कुल थोक दवा आवश्यकताओं का लगभग 70% चीन से आयात करते हैं।

भारत में दवा कंपनियों की महंगी दवाइयों वाले ब्रांडों के नकली संस्करण: इन कंपनियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है और यह एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, नकली दवाइयों से अंतिम उपभोक्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है।

भारत द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम:

आत्मनिर्भरता का आह्वान: जून में, फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा देश में तीन बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की घोषणा की गयी।

बल्क ड्रग पार्क में, विशिष्ट रूप से सक्रिय दवा संघटकों (APIs), मध्यवर्ती दवाओं (DIs) और मुख्य शुरुआती सामग्री (KSM) के निर्माण हेतु सामूहिक अवस्थापना सुविधाओं सहित एक संस्पर्शी क्षेत्र निर्धारित किया जायेगा, इसके अलावा इसमें एक सामूहिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी होगी।

इन पार्कों से देश में बल्क ड्रग्स की विनिर्माण लागत कम होने और घरेलू बल्क ड्रग्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है।

'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' के बारे में:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी और मार्च 2009 में इसका विधिवत गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्य, प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

आयोग, किसी क़ानून के तहत स्थापित किसी सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ पर प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों पर

CAREER PLUS

परामर्श प्रदान करता है, तथा प्रतिस्पर्द्धा की भावना को संपोषित करता है।
इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्य एवं प्रतिस्पर्द्धा के विषयों पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम:(The Competition Act)
राघवन समिति की सिफारिशों पर 'एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम', 1969 (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969) अर्थात MRTP एक्ट को निरस्त कर, इसके स्थान पर 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम', 2002 लागू किया गया था।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का संशोधित स्वरूप 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम', 2007, प्रतिस्पर्धा-रोधी करारों, उद्यमों द्वारा प्रभावी स्थिति के दुरूपयोग का निषेध करता है तथा संयोजनों (अधिग्रहण, नियंत्रण तथा M&A की प्राप्ति) को विनियमित करता है; इन संयोजनों के कारण भारत में प्रतिस्पर्धा पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अथवा उसके पड़ने की संभावना हो सकती है।

युक्तधारा

युक्तधारा (Yuktdhara), मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुगम बनाने के लिए एक 'भू-स्थानिक योजना' (Geospatial Planning Portal) पोर्टल है। यह इसरो के जियोपोर्टल 'भुवन' के तहत कार्य करेगा।

भुवन "युक्तधारा" पोर्टल को 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय' द्वारा लांच किया गया है।
यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों (जियोटैग) के भंडार के रूप में कार्य करेगा।

'ओंके ओबव्वा'

कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष से, हर साल 11 नवंबर को पूरे राज्य में 'ओंके ओबव्वा जयंती' (Onake Obavva Jayanti) मनाने का निर्णय लिया है।
'ओंके ओबव्वा' कौन थी?
ओंके ओबव्वा (Onake Obavva), एक बहादुर योद्धा महिला थीं, जिसने 18वीं शताब्दी में 'हैदर अली' की सेना से, अकेले मूसल (कन्नड़ भाषा में 'ओंके') के साथ भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग में लड़ाई लड़ी थी।
वह चित्रदुर्ग किले की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं।
उस समय चित्रदुर्ग शहर पर मदकरी नायक का शासन था।
उनकी विरासत और प्रासंगिकता:
ओबव्वा को कन्नड़ गौरव का प्रतीक माना जाता है और उन्हें कर्नाटक राज्य की अन्य महिला योद्धाओं के साथ सम्मानित किया जाता है।
कर्नाटक के लोगों द्वारा, विशेष रूप से चित्रदुर्ग क्षेत्र में 'ओंके ओबव्वा' के साहस और तेज सोच की प्रशंसा की जाती है।
चित्रदुर्ग में एक स्टेडियम का नामकरण उनके नाम पर किया गया है।
'ओंके ओबव्वा' से प्रेरित होकर, वर्ष 2018 में, चित्रदुर्ग पुलिस ने जिले में महिलाओं की सुरक्षा हेतु और उन्हें शिक्षित करने के लिए 'ओबव्वा पदे' (Obavva Pade) नामक महिला पुलिस कांस्टेबलों के एक दल का गठन किया था। बाद में इस दल को बैंगलोर में भी शुरू किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई पहलें

हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया।
'भारतीय रिज़र्व बैंक – खुदरा प्रत्यक्ष (आरबीआई-आरडी) योजना' (RBI – Retail Direct Scheme) और
रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme – RB-IOS)
दोनों योजनाएं देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेंगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान और अधिक सुरक्षित बनाएंगी।

'भारतीय रिज़र्व बैंक – खुदरा प्रत्यक्ष (आरबीआई-आरडी) योजना' क्या है?
आरबीआई-आरडी (RBI – Retail Direct Scheme) योजना का उद्देश्य, खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच में वृद्धि करना है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

खुदरा प्रत्यक्ष योजना से देश के छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का सरल और सुरक्षित माध्यम प्राप्त होगा।

इसके तहत, निवेशक आसानी से आरबीआई के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता नि:शुल्क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे।

यह योजना, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, राज्य विकास ऋणों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs) में निवेश करने के लिए एक पोर्टल की सुविधा प्रदान करती है।

इस योजना के लागू होने के बाद, भारत ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा।

'रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना' के बारे में:

रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme) का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है।

इस योजना का मुख्य विषय 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' पर आधारित है, जिसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पता होगा।

रिज़र्व बैंक ने तीन लोकपाल योजनाओं को एक योजना में समेकित करने का निर्णय लिया है, और प्रक्रिया दक्षता बढ़ाने हेतु शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक जांच को केंद्रीकृत करके, सेवा में खामियों से संबंधित सभी शिकायतों को कवर करते हुए योजना को सरल बनाया है।

रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) के तहत, क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं के साथ-साथ शिकायत करने के सीमित आधारों की समस्या को दूर किया गया है।

आरबीआई द्वारा ग्राहकों को दस्तावेज जमा करने, दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने, और फीडबैक देने हेतु, 'एकल संदर्भ बिंदु उपलब्ध कराया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि:

केंद्रीय बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र में, आरबीआई की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं अर्थात्, बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत किया गया है।

इन योजनाओं का महत्व:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण आरबीआई पर दरों में वृद्धि किए जाने का दबाव बढ़ रहा है।

सख्त मौद्रिक नीति लागू किए जाने से बॉन्ड की मांग कमजोर होने की संभावना है, जिससे सरकार के लिए अपने आगामी रिकॉर्ड स्तर पर शुरू किए जाने वाले ऋण-कार्यक्रम को निष्पादित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

फिलीपींस जैसे, एशिया के अन्य उभरते बाजार वाले देशों ने भी महामारी से लड़ने के लिए नागरिकों से धन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा सात राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति

सात राज्यों यथा छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

इसे ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन के तौर पर इन राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 16,691 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दे दी गई है।

पृष्ठभूमि:

वृद्धिशील उधारी के लिए उपयुक्त पात्र बनने हेतु, राज्यों के लिए वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के आखिर तक अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्यों का कम से कम 45 प्रतिशत करना आवश्यक था।

छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों ने वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है।

राज्यों को ऋण लेने हेतु केंद्र से अनुमति की आवश्यकता:

संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अनुसार, राज्यों पर केंद्र सरकार का पिछला बकाया होने के मामले में, राज्यों को ऋण लेने हेतु केंद्र की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अनुच्छेद 293 (4) के तहत राज्यों को केंद्र द्वारा कुछ शर्तों के अधीन भी ऋण लेने हेतु सहमति दी जा सकती है।

CAREER PLUS

व्यवहार में, केंद्र इस शक्ति का प्रयोग वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर रहा है।
वर्तमान में, प्रत्येक राज्य, केंद्र का ऋणी है और इस प्रकार, सभी राज्यों को ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति लेना आवश्यक है।

भू-प्रजातियाँ (Landraces)

हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर के अकोले तालुका की निवासी राहीबाई पोपेरे (Rahibai Popere) को 'पद्म श्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

राहीबाई पोपेरे को 'सीडमदर' (Seedmother) के नाम से जाना जाता है।
उन्हें, गाँव स्तर पर सैकड़ों भू-प्रजातियों / 'Landraces' (आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों की जंगली किस्मों) को बचाने में मदद करने हेतु किए गए कार्यों के लिए 'पद्म श्री' पुरुस्कार प्रदान किया गया है।
भू-प्रजातियाँ (Landraces) क्या हैं?
भू-प्रजातियाँ (Landraces) आमतौर पर खेती की जाने वाली फसलों के 'प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रकारों' को संदर्भित करती हैं।
ये, चयनात्मक प्रजनन (संकर) या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से दूसरी फसल प्रजातियों पर, एक निश्चित विशेषता दिखाने के लिये विकसित की जाने वाली व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के विपरीत होती हैं।

भू-प्रजातियों पर चयन और प्रजनन का प्रभाव:
जैव विविधता, फसलों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने हेतु लक्षण विकसित करने के लिए एक प्राकृतिक तंत्र प्रदान करती है। हालांकि, फसल चयन में बड़े पैमाने पर मानवीय हस्तक्षेप को देखते हुए, अधिकांश व्यावसायिक फसलों में यह क्षमता अब खो गई है।
कई दशकों में 'चयन और प्रजनन' (Selection and Breeding) के माध्यम से किए जाने वाले फसल सुधार की वजह से अधिकांश फसलों का आनुवंशिक आधार संकुचित हो गया है।
भू-प्रजातियों की आवश्यकता और महत्व:
जलवायु परिवर्तन के खतरे के बीच, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सामने ऐसी किस्मों को विकसित करना एक चुनौती है जो अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के खतरों का सामना कर सकें।
प्राकृतिक रूप उगने वाली भू-प्रजातियों में अभी भी अप्रयुक्त आनुवांशिक गुणों का एक बड़ा पूल या समूह मौजूद है, जो इन समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है।
आनुवंशिक विविधता, प्रकृति की उत्तरजीविता क्रियाविधि है। जीन पूल जितना व्यापक होगा, प्रजातियों में चरम जलवायु घटनाओं से बचने में मदद करने में सक्षम 'लक्षण' विकसित करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
आगे की राह:
भू-प्रजातियों के जर्मप्लाज़्म (Germplasms) के बारे में अभी बहुत कुछ समझा जाना बाकी है। इस संबंध में अनुसंधान कार्य अपने प्रारंभिक चरण में है। यह समझना आवश्यक है कि ये भू-प्रजातियां जलवायु-अनुकूलित कृषि (Climate-Resilient Agriculture) में किस प्रकार अपना योगदान दे सकती हैं, पोषण संबंधी रूपरेखा भी कमियों से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि कई भू-प्रजातियां, व्यावसायिक रूप से विकसित किस्मों की तुलना में पोषक तत्वों से अधिक भरपूर होती हैं।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने हेतु अध्यादेश

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा, हाल ही में, दो अध्यादेशों को प्रख्यापित किया गया है, जिनमे केंद्र सरकार के लिए 'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (CBI) और 'प्रवर्तन निदेशालय' (Enforcement Directorate – ED) के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
वर्तमान में, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल की अवधि 'दो वर्ष' निर्धारित है।

संशोधित किए गए कानून:
सीबीआई निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन करने हेतु 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम', 1946 में संशोधन किया गया है।
'प्रवर्तन निदेशालय' (ED) निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन, हेतु 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम', 2003 में संशोधन किया गया है।
'मूलभूत नियम', 1922 में संशोधन:
कार्मिक मंत्रालय द्वारा कार्यकाल परिवर्तन सूची में दो अन्य पदों को शामिल करने के लिए 'मूलभूत नियम', 1922

(Fundamental Rules, 1922) में संशोधन करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे इनकी सेवाओं को "जनहित" में दो साल के निर्धारित कार्यकाल को, दो साल तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढाया जा सकता है।

पिछली सूची में, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, निदेशक, खुफिया ब्यूरो और सचिव, 'अनुसंधान और विश्लेषण विंग' (RAW) शामिल किया गया था।

'सीबीआई निदेशक' और उनकी नियुक्ति के बारे में:

'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (CBI) के निदेशक की नियुक्ति 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम' 1946 की धारा 4A के तहत की जाती है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम (2013) के अनुसार, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमे अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल होंगे।

इसके अलावा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा CBI निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया गया। इसमें कहा गया है, कि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं होने की स्थिति में, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को, इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate):

इस निदेशालय की स्थापना, 1 मई, 1956 को, 'विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम', 1947 (FERA '47) के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किए जाने के साथ की गयी थी।

वर्ष 1957 में, इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' (Enforcement Directorate) कर दिया गया।

'प्रवर्तन निदेशालय', वर्तमान में, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है।

इस संगठन का कार्य, दो विशेष राजकोषीय विधियों- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999 – FEMA) और धनशोधन निवारण अधिनियम,2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) के प्रावधानों को प्रवर्तित करना है।

संरचना:

प्रवर्तन निदेशालय में, कार्मिकों की सीधी भर्ती के अलावा, विभिन्न जाँच अभिकरणों अर्थात् सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आय-कर, पुलिस आदि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है।

ग्रीन बांड

चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक, रिटेलर वॉलमार्ट इंक और डेटा-सेंटर कंपनी इक्विनिक्स इंक सहित अमेरिकी कंपनियों द्वारा 'ग्रीन बांड' (Green Bonds) को अपने बड़े पारंपरिक 'बांड प्रस्तावों' में शामिल किए जाने के बाद, 'कॉरपोरेट ग्रीन-बॉन्ड' जारी किए जाने की नई ऊंचाई पर पहुंच गए है।

आवश्यकता:

जब कंपनियों को निवेशकों, नियामकों और कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण में सुधार के लिए कदम उठाने हेतु दिए जाने वाले दबाव का सामना करना पड़ता है, तब इनके द्वारा पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं को वित्तपोषित करने वाले 'हरित बांड' / 'ग्रीन बांड्स' जारी किए जाते हैं। संधारणीय लक्ष्यों से संबंधित ऋण जारी करने के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है।

'ग्रीन बॉन्ड' क्या है?

'ग्रीन बॉन्ड' (Green Bond), एक प्रकार का 'निश्चित आय' उपकरण होते है, जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

ये बांड, आम तौर पर किसी परिसंपत्ति से संबद्ध होते हैं, और जारीकर्ता इकाई की बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए इन बांड्स को प्रायः जारीकर्ता के अन्य ऋण दायित्वों के समान 'क्रेडिट रेटिंग' दी जाती है।

निवेशकों को आकर्षित करने हेतु 'ग्रीन बांड' में निवेश करने पर प्रोत्साहन के रूप में 'करों' आदि से कुछ छूट के साथ भी जारी किया जाता सकता है।

विश्व बैंक, 'हरित बांड' / ग्रीन बांड' जारी करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसके द्वारा वर्ष 2008 से अब तक 164 'ग्रीन बांड' जारी किए गए हैं, जिनकी कीमत संयुक्त रूप से 14.4 बिलियन डॉलर है। 'क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव' के

CAREER PLUS

अनुसार, वर्ष 2020 में, लगभग 270 बिलियन डॉलर कीमत के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए थे।

'ग्रीन बॉन्ड' की कार्य-प्रणाली:

ग्रीन बॉन्ड, किसी भी अन्य कॉरपोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड की तरह ही काम करते हैं।

ऋणकर्ताओं द्वारा इन प्रतिभूतियों को, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या प्रदूषण को कम करने जैसे 'सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव' डालने वाली परियोजनाओं के 'वित्तपोषण' को सुरक्षित करने के लिए जारी किया जाता है।

इन बांडों को खरीदने वाले निवेशक, इनके परिपक्व होने या अवधि पूरी होने पर, उचित लाभ अर्जित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

इसके अलावा, ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने पर अक्सर 'कर' संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं।

ग्रीन बॉन्ड बनाम ब्लू बॉन्ड:

'ब्लू बॉन्ड' (Blue Bonds), समुद्र और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा हेतु परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जारी किए जाने वाले 'संधारणीयता बांड' होते हैं।

यह बांड, संवहनीय मत्स्य पालन, प्रवाल भित्तियों और अन्य संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, अथवा प्रदूषण और अम्लीकरण को कम करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी किए जा सकते हैं।

सभी ब्लू बॉन्ड, 'ग्रीन बॉन्ड' होते हैं, लेकिन सभी 'ग्रीन बॉन्ड', ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं।

'ग्रीन बांड बनाम जलवायु बांड'

"ग्रीन बॉन्ड्स" और "क्लाइमेट बॉन्ड्स" को कभी-कभी एक-दूसरे के पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 'क्लाइमेट बॉन्ड्स' शब्द को कुछ अधिकारी, विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए उपयोग करते हैं।

विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (ULPIN) योजना

हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी के 'इंडिया हैबिटेट सेंटर' में 'भूमि संवाद'- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Record Modernisation Programme) पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Numbers – ULPIN) के महत्व के बारे में बात करते हुए 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री' ने इसे एक प्रकार से भूखंड के आधार नंबर की तरह बताया।

इस अनूठी प्रणाली में भूखंड के लिए भू-निर्देशांक के आधार पर एक विशिष्ट पहचान संख्या तैयार की जाती है और उक्त भूखंड की पहचान के लिए इसे अंकित किया जाता है।

योजना के बारे में:

इस योजना के तहत, देश में प्रत्येक भूखंड को एक 14-अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी।

इसे 'जमीन की आधार संख्या' भी कहा जा रहा है। यह संख्या, जमीन के सर्वेक्षण किये जा चुके प्रत्येक खंड की विशिष्ट रूप से पहचान करेगी तथा विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ आमतौर पर भूमि-अभिलेख काफी पुराने तथा विवादित होते हैं, भूमि-संबंधी धोखाधड़ी पर रोके लगाएगी।

इसके तहत भू-खंड की पहचान, उसके देशांतर और अक्षांशो के आधार पर की जाएगी और विस्तृत सर्वेक्षण और भू-संदर्भित भूसंपत्ति-मानचित्र पर निर्भर होगी।

लाभ:

ULPIN के बहुपक्षीय लाभ हैं। जानकारी का यह एकल स्रोत, भू-स्वामित्व प्रमाणित कर सकता है और इससे भू-स्वामित्व संबंधी संदिग्ध दावे समाप्त होंगे। यह आसानी से सरकारी भूमि की पहचान करने में सहायक होगा तथा न्यायहीन भूमि-लेनदेन से बचाएगा।

किसी कानून को निरसित करने की प्रक्रिया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरसित (Repeal) करने की घोषणा की गयी है।

उन्होंने, इन कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूहों को, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में निरसन की विधायी प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है।

निरसित किए जाने वाले कृषि कानून:

कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम', 2020 (Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020): इसका उद्देश्य मौजूदा 'कृषि उपज बाजार समिति' (Agricultural Produce Market Committee – APMC) मंडियों के बाहर, कृषि उपज व्यापार की अनुमति देना है।

CAREER PLUS

'कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम', 2020' (Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020): इसमें अनुबंध खेती के लिए एक ढांचा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020' (Essential Commodities (Amendment) Act, 2020): इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाना है।

किसी कानून को निरसित किए जाने का तात्पर्य:

कानून को निरसित करना, किसी कानून को रद्द करने का एक तरीका होता है। जब संसद को ऐसा प्रतीत होता है, कि किसी कानून के बने रहने आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, तब उस क़ानून को वापस ले लिया जाता है।

क़ानून में एक "सूर्यास्त" (Sunset) अनुच्छेद को भी शामिल किया जा सकता है, जिसके तहत, एक विशेष तिथि के बाद, उस क़ानून का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

कृषि कानून को किस प्रकार निरसित किया जा सकता है?

सरकार द्वारा कृषि कानूनों को दो तरीकों से निरसित किया जा सकता है – एक, सरकार द्वारा तीनों तीन कानूनों को निरसित करने के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है, अथवा, दूसरे, सरकार इसके अध्यादेश ला सकती है, जिसे बाद में छह महीने के भीतर एक विधेयक के रूप में पारित करना होगा।

किसी क़ानून को निरसित करने के, संसद की शक्ति, संविधान के तहत कानून बनाने के समान ही होती है।

संविधान का अनुच्छेद 245, जो संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, विधायी निकाय को निरसन और संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनको निरसित करने की शक्ति भी देता है।

इस संबंध में पहली बार 1950 में एक अधिनियम पारित किया गया और 72 कानूनों को निरसित कर दिया गया था।

किसी कानून को या तो पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से, या किन्ही अन्य कानूनों के उल्लंघन करने की सीमा तक भी निरसित किया जा सकता है।

कानून को निरसित करने की प्रक्रिया:

किसी कानून को दो तरीकों से निरसित या रद्द किया जा सकता है – एक अध्यादेश के माध्यम से, या एक कानून के माध्यम से।

अध्यादेश के माध्यम से:

यदि किसी कानून को निरसित करने के लिए 'अध्यादेश' का उपयोग किया जाता है, तो उसे छह महीने के भीतर संसद द्वारा पारित कानून से प्रतिस्थापित करना होगा।

यदि अध्यादेश, संसद द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण व्यपगत हो जाता है, तो निरसित कानून को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

कानून के माध्यम से:

कृषि कानूनों को निरसित करने के लिए, सरकार एक कानून भी ला सकती है।

इस क़ानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना होगा, और इसके प्रभाव में आने से पहले इस पर राष्ट्रपति की सहमति भी हासिल करनी होगी।

'तीनों कृषि कानूनों' को एक ही कानून द्वारा भी निरस्त किया जा सकता है।

आमतौर पर, इस उद्देश्य के लिए 'निरसन एवं संशोधन' शीर्षक से विधेयक पेश किए जाते हैं।

तानाशाही में वृद्धि होती जा रही है: रिपोर्ट

हाल ही में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) द्वारा 'ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021' (Global State of Democracy Report, 2021) जारी की गयी है।

रिपोर्ट में शासन के तीन मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया गया है: लोकतंत्र शासन (Democracies), मिश्रित शासन (Hybrid) और सत्तावादी शासन (Authoritarian)।

जिसमे, मिश्रित शासन और सत्तावादी शासन, दोनों को गैर-लोकतांत्रिक शासन-पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

वर्ष 2020 में, सत्तावाद की ओर अग्रशील होने वाले देशों की संख्या, लोकतंत्र की ओर दूसरी दिशा में बढ़ने वाले देशों

की तुलना में अधिक थी। 20 देश, सत्तावाद की दिशा में अग्रशील हुए, जबकि मात्र सात देश लोकतंत्र की ओर आगे बढ़े।

महामारी ने इस मौजूदा नकारात्मक प्रवृत्ति को पांच साल तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह 1970 के दशक में लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की शुरुआत के बाद से, नकारात्मक दिशा में बढ़त की सबसे लंबी अवधि है।

स्थापित लोकतंत्रों सहित, कई देशों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें, तेजी से सत्तावादी रणनीति अपना रही हैं।

विभिन्न अध्ययनों के तहत किया गया प्रदर्शन विश्लेषण:

रिपोर्ट में 'ब्राजील' और 'भारत' के मामले को 'पीछे जाने के सबसे चिंताजनक उदाहरणों में शामिल मामलों के रूप में बताया गया है। हालाँकि, भारत को एक 'मध्य-स्तरीय प्रदर्शन करने वाले लोकतंत्र' की श्रेणी में बनाए रखा गया है। विदित हो कि भारत वर्ष 2000 से, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 'मध्य-स्तरीय प्रदर्शन करने वाले लोकतंत्र' में बना हुआ है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के तीन सदस्य देशों (हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया) में भी चिंताजनक लोकतांत्रिक पतन की प्रवृत्ति देखी गयी है।

रिपोर्ट के बारे में:

'लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति' रिपोर्ट, 2021 / ग्लोबल स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी (Global State of Democracy) रिपोर्ट, 2021 में वर्ष 2015 के बाद से जारी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को प्रासंगिक संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए, वर्ष 2020 और 2021 के दौरान दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा की गयी है।

- यह रिपोर्ट, महामारी की शुरुआत के बाद से वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इस रिपोर्ट को, 'इंटरनेशनल आईडिया' (International IDEA's) के 'लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों पर कोविड -19 प्रभाव की वैश्विक निगरानी (Global Monitor of Covid-19's Impact on Democracy and Human Rights) तथा 'इंटरनेशनल आईडिया' के 'ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी' (GSoD) सूची सहित विभिन्न डेटा स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है।
- ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी' (GSoD) सूची में लोकतंत्र के 28 पहलुओं के आधार पर, वर्ष 2020 के अंत तक, समान देशों के लिए लोकतांत्रिक गुणवत्ता पर मात्रात्मक आंकड़े प्रदान किए जाते हैं।

'लोकतंत्र' क्या होता है?

रिपोर्ट में 'लोकतंत्र' (Democracy) को पांच निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया गया है:

1. प्रतिनिधि सरकार,
2. मौलिक अधिकार,
3. सरकार पर नियंत्रण,
4. निष्पक्ष प्रशासन और
5. भागीदारी।

ये पाँच विशेषताएँ ही इस रिपोर्ट की आधारिक संरचना बनाती हैं।

श्रमिक संघों द्वारा 'श्रम संहिता' को निरस्त किए जाने की मांग

संसद द्वारा 'मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों' पर "चार श्रम संहिताओं" (labour codes on wages, social security, occupational safety and industrial relations) को पारित किए हुए एक साल से अधिक समय बीत चुका है, किंतु केंद्र सरकार अभी तक इन कानूनों को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, और इनके लागू किए जाने संबंधी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

यद्यपि, तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले के मद्देनजर, ट्रेड यूनियनों ने इस सप्ताह इन श्रम संहिता के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है।

ट्रेड यूनियनों की मांगें:

ट्रेड यूनियनों का कहना है कि, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर बनाए गई सहिंताओं (Codes) को हम स्वीकार करते है, और इन्हें तत्काल लागू किया जाए।

ट्रेड यूनियनों द्वारा 'औद्योगिक संबंध' (Industrial Relations) और 'व्यावसायिक सुरक्षा' (Occupational Safety) पर बनाए गई सहिंताओं पर आपत्ति वयक्त करते हुए इनकी समीक्षा किए जाने की मांग की जा रही है।

CAREER PLUS

'श्रम संहिताओं' (labour codes) के बारे में:

कानूनों के इस नवीन सेट में 44 श्रम कानूनों को 'चार संहिताओं' में समेकित किया गया है: मजदूरी संहिता (Wage Code), सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता' (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code) और औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)।

संसद द्वारा पहले ही इन चारों संहिताओं को पारित किया जा चुका है और, इनके लिए राष्ट्रपति की सहमति भी मिल चुकी है।

ये चार संहिताएँ हैं:

मजदूरी संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019): यह संहिता संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसका उद्देश्य सभी रोजगारों में 'वेतन' / 'मजदूरी' और बोनस भुगतान को विनियमित करना है, तथा हर उद्योग, पेशे, व्यवसाय या विनिर्माण में समान प्रकृति के काम करने वाले कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक प्रदान करना है।

'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता' 2020 (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code, 2020): इसका उद्देश्य 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों और सभी खदानों और बंदरगाहों / गोदी (Docks) में कम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को विनियमित करना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020): इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से संबंधित नौ कानूनों को समेकित किया गया है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020): इसके तहत, तीन श्रम कानूनों अर्थात; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को समेकित किया गया है। इसका उद्देश्य, उद्योगों पर श्रम कानूनों के अनुपालन बोझ को काफी हद तक कम करके, देश में कारोबारी माहौल में सुधार करना है।

इन संहिताओं के साथ समस्याएं:

नियमित कामगारों के लिए कार्य-घंटा प्रावधानों में 'दिन में आठ घंटे से अधिक काम के घंटे तय करने संबंधी' कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इन संहिताओं में अंशकालिक कर्मचारियों के लिए समान प्रावधान निर्धारित नहीं किए गए हैं।

कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करने वाले प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

श्रम संहिताओं में, प्रावधानों का पालन न करने और दूसरी बार अपराध करने पर, व्यवसायों पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान महामारी की स्थिति में, अधिकांश छोटे व्यवसाय, श्रम संहिताओं में किए गए परिवर्तनों को अपनाने और लागू करने की स्थिति में नहीं हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

देश में सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संकेतकों पर सबसे व्यापक सर्वेक्षण 'राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण'–5 (National Family and Health Survey-5) अर्थात NFHS-5 के तथ्यपत्रक (फैक्टशीट) जारी किया गया है।

'राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS) के पिछले चार चरण, क्रमशः वर्ष 1992-93, 1998-99, 2005-06 और 2015-16 में आयोजित किए गए थे।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक, प्रजनन क्षमता में कमी आई है, और भारत में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2019-2021 में, देश में 1000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं थीं। यह किसी भी 'राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS) में और वर्ष 1881 में आयोजित पहली आधुनिक समकालिक जनगणना के बाद से, उच्चतम लिंगानुपात है।

सकल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) में कमी आयी है, और यह उस सीमा से नीचे आ गई है जिस पर जनसंख्या के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित होने की उम्मीद होती है। 2019-2021 में सकल प्रजनन दर (TFR) मात्र 2 थी, जोकि 'प्रतिस्थापन प्रजनन दर' (2.1) से ठीक नीचे थी।

बच्चों के पोषण-स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी रही है। 2015-16 में आयोजित पिछले 'राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण' के बाद से बौनापन अर्थात 'आयु के हिसाब से कम ऊंचाई' (stunting),

निर्बलता (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन), और 'भार में कमी' (उम्र के हिसाब से कम वजन) वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है।

भारत 'खाद्य सुरक्षित' हो सकता है, लेकिन पर्याप्त पोषण वयस्कों के लिए भी एक समस्या है। यद्यपि, भारत 'खाद्य सुरक्षा' हासिल कर चुका है, लेकिन 60% भारतीय पौष्टिक आहार नहीं लेने की स्थित में नहीं हैं।

'राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS) के बारे में:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey – NFHS) बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहु-चरणीय सर्वेक्षण है, जिसे पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि प्रतिदर्शों (नमूनों) में आयोजित किया जाता है।

- सभी 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण', भारत सरकार के 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' नेतृत्व में किए जाते है, और इसमें, मुंबई स्थित 'अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान' (International Institute for Population Sciences- IIPS) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- NFHS-5 में विशेष ध्यान वाले कुछ नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे मृत्यु पंजीकरण, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित क्षेत्र, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक, मासिक धर्म स्वच्छता, शराब एवं तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति, गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) के अतिरिक्त घटक रोग, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह को मापने के लिए विस्तारित आयु सीमा। इन सभी से, मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करने तथा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए नई रणनीति विकसित करने के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो विशिष्ट लक्ष्य होते हैं:

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण व कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर अपेक्षित आवश्यक विवरण प्रदान करना।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना।

तवांग

ऐतिहासिक रूप से 'तवांग' (Tawang) तिब्बत का एक भाग था।

- वर्ष 1914 में हुए 'शिमला समझौते' के तहत 'मैकमोहन रेखा' को ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच नई सीमा के रूप में माना गया था। इस संधि के तहत तिब्बत ने तवांग सहित अपने कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजों के लिए दे दिया था। लेकिन, चीन ने इसके लिए मान्यता नहीं दी।
- वर्ष 1950 में, तिब्बत की वास्तविक स्वतंत्रता ख़त्म हो गयी और चीन ने इसे नव स्थापित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल किया।
- बाद में, वर्ष 1959 में, वर्तमान दलाई लामा तिब्बत से पलायन करने के दौरान 'तवांग' के रास्ते भारत आए थे।
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, तवांग पर कुछ समय के लिए चीन का कब्ज़ा हो गया था, लेकिन युद्ध के अंत में चीन ने स्वेच्छा से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया।
- इसके बाद, तवांग फिर से भारतीय प्रशासन के अधीन आ गया, लेकिन चीन ने तवांग सहित अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना दावा नहीं छोड़ा है।

LEO उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट

पिछले वर्ष एक सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या आ जाने से विफल होने के बाद 'वनवेब' (OneWeb) द्वारा अपने ब्रॉडबैंड उपग्रहों में से एक को पृथ्वी की निचली कक्षा से हटाने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

अब तक, वनवेब द्वारा 11 प्रक्षेपणों के माध्यम से 1,200 किलोमीटर की दूरी पर 358 उपग्रहों को तैनात किया जा चुका है।

पृष्ठभूमि:

'वनवेब' ने इस साल की शुरुआत में 'यूरोपियन स्पेस एजेंसी' (ESA) के 'सनराइज प्रोग्राम' के तहत, मलबे को हटाने वाले 'एस्ट्रोस्केल' (Astroscale) नामक स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है।

'वनवेब के LEO इंटरनेट कार्यक्रम' के बारे में:

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

'वनवेब' पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) में स्थित 'संचार उपग्रह' का संचालन करने वाली एक निजी कंपनी है।

- वनवेब का उद्देश्य, एलईओ उपग्रहों के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, उत्तरी यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र और कनाडा में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विकल्प उपलब्ध कराना है।
- कंपनी ने इस साल के अंत से पहले इंटरनेट सेवा चालू किए जाने की संभावना व्यक्त की है।

वनवेब ने इस कार्यक्रम को **'फाइव टू 50' सर्विस** का नाम दिया है, इसके तहत 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

LEO उपग्रह आधारित इंटरनेट के लाभ:

- LEO उपग्रह, पृथ्वी से लगभग 36,000 किमी की दूरी पर स्थित भू-स्थैतिक कक्षा उपग्रहों की तुलना में, लगभग 500 किमी से 2000 किमी की दूरी पर स्थित होते हैं।
- LEO उपग्रह पृथ्वी का नजदीक से परिक्रमण करते हैं अतः ये, पारंपरिक स्थिर-उपग्रह प्रणालियों की तुलना में सशक्त सिग्नल और तेज गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
- चूंकि, सिग्नल, फाइबर-ऑप्टिक केबल प्रणाली की तुलना में, अंतरिक्ष के माध्यम से अधिक तेजी से गति करते हैं, इसलिए भले ही ये मौजूदा जमीन-आधारित नेटवर्क से आगे न निकल सकें, फिर भी इसका मुकबला करने में सक्षम होंगे।

चुनौतियां:

LEO उपग्रह 27,000 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं और 90-120 मिनट में पृथ्वी का एक पूर्ण परिपथ पूरा कर लेते हैं। नतीजतन, एक उपग्रह, पृथ्वी पर स्थापित ट्रांसमीटर के साथ बहुत कम ले लिए संपर्क स्थापित कर पाता है, अतः इस प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु LEO उपग्रहों के एक विशाल बेड़े की आवश्यकता होती है और इसके लिए बड़े पूंजी निवेश की जरूरत होती है।

LEO उपग्रहों की आलोचनाएँ:

1. चूंकि, इन परियोजनाओं को अधिकांशतः निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, अतः शक्ति संतुलन, देशों से हटकर कंपनियों में स्थानांतरित हो गया है। इन निजी परियोजनाओं में कई राष्ट्रों की भागेदारी भी होती है, इसे देखते हुए इन कंपनियों को नियंत्रित करने से संबंधित सवाल उत्पन्न हो रहे हैं।
2. **जटिल नियामक ढांचा:** इन कंपनियों में विभिन्न देशों के हितधारक शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश में इन सेवाओं के संचालन हेतु अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
3. प्राकृतिक उपग्रहों को कभी-कभी रात के समय आसमान में देखा जा सकता है, इन कृत्रिम उपग्रहों की वजह से खगोलविदों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं।
4. निचली कक्षा में भ्रमण करने वाले उपग्रह, अपने ऊपर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की आवृत्तियों को बाधित कर सकते हैं।
5. बोलचाल की भाषा में 'स्पेस जंक' कहे जाने वाले पिंडों से अंतरिक्ष यानो को क्षति पहुंचने या अन्य उपग्रहों से टकराने की संभावना रहती है।

संभावनाएं:

जिन स्थानों पर फाइबर और स्पेक्ट्रम सेवाओं की पहुँच नहीं होती है, वहां LEO सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेहतर कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। अतः इसके लिए लक्षित बाजार, ग्रामीण आबादी और शहरी क्षेत्रों से दूर तैनात सैन्य इकाइयाँ होंगी।

इस प्रकार की अन्य परियोजनाएं:

'वनवेब' की मुख्य प्रतियोगी स्टारलिंक (Starlink) कंपनी है, जो एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के नेतृत्व वाला एक उद्यम है। स्टारलिंक के पास वर्तमान में 1,385 उपग्रह हैं जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित हैं। स्टारलिंक द्वारा पहले से ही उत्तरी अमेरिका में बीटा परीक्षण शुरू किया जा चुका है, और इसने भारत जैसे देशों में प्री-ऑर्डर भी शुरू कर दिया है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी(Central bank digital currency)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' (Central Bank Digital Currency – CBDC) को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने संबंधी कार्यान्वयन रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। इस डिजिटल मुद्रा को इस साल के अंत तक प्रायोगिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है।

वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म द्वारा भारतीय संदर्भ में सीबीडीसी (CBDC) के चार प्रमुख उपयोगों को सूचीबद्ध किया है। इनमे शामिल है:

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

किसी देश में सामाजिक लाभ और अन्य लक्षित भुगतानों के लिए उपयोग हेतु 'उद्देश्य के लिए उपयुक्त' धन ('Fit-for-Purpose' Money)। ऐसे मामलों में, केंद्रीय बैंक द्वारा आशयित लाभार्थीयों के लिए पूर्व-क्रमादेशित (Pre-Programmed) सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का भुगतान किया जा सकता है, जो केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए मान्य होगी।

विदेशों से देश में शीघ्रता से रकम भेजने के लिए (Remittance Payments), CBDC का उपयोग किया जा सकता है। भारत सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 'सीबीडीसी' के हस्तांतरण और परिवर्तन हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा और तंत्र का निर्माण किया जा सकता है।

'सीबीडीसी' के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के लेनदेन हेतु 'भुगतान उपकरण' उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा, सीबीडीसी तक सार्वभौमिक रूप से पहुँच बनाने के लिए, इसकी कार्य-प्रणाली में **'ऑफ़लाइन भुगतान'** को भी शामिल किया जा सकता है।

सीबीडीसी की मदद से भारत में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (MSMEs) को तत्काल ऋण देना भी संभव हो सकता है।

सीबीडीसी की आवश्यकता:

एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा, बिना किसी इंटर-बैंक सेटलमेंट के 'रियल-टाइम भुगतान' को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगी।

भारत का काफी उच्च मुद्रा-जीडीपी अनुपात, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का एक और लाभ है- इसके माध्यम से, काफी हद तक नकदी के उपयोग को CBDC द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

चूंकि, इस व्यवस्था के तहत, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मुद्रा-अंतरण केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होगी, अतः 'अंतर-बैंक निपटान' / 'इंटर-बैंक सेटलमेंट' की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

CBDC या 'राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा' क्या है?

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), या राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी, किसी देश की साख मुद्रा का डिजिटल रूप होती है। इसके लिए, कागजी मुद्रा या सिक्कों की ढलाई करने के बजाय, केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है। इस सांकेतिक टोकन को, सरकार का पूर्ण विश्वास और साख का समर्थन हासिल होता है।

एस सी गर्ग समिति की सिफारिशें (2019)

किसी भी रूप में क्रिप्टोकरेंसी का खनन, स्वामित्व, लेन-देन या सौदा करने को प्रतिबंधित किया जाए।

समिति के द्वारा, डिजिटल मुद्रा में विनिमय या व्यापार करने पर एक से 10 साल तक के कारावास का दंड की सिफारिश की गयी थी।

समिति ने, सरकारी खजाने को हुए नुकसान या क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ता द्वारा अर्जित किए गए लाभ, जो भी अधिक हो, के तीन गुना तक मौद्रिक दंड का प्रस्ताव किया गया था।

हालांकि, समिति ने सरकार से 'भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टोकरेंसी जारी करने की संभावना' पर अपना दिमाग खुला रखने की सलाह भी दी गयी थी।

राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा शुरू करने में चुनौतियाँ:

संभावित साइबर सुरक्षा खतरा

आबादी में डिजिटल साक्षरता का अभाव

डिजिटल मुद्रा की शुरूआत से, विनियमन, निवेश और खरीद पर नज़र रखने, व्यक्तियों पर कर लगाने आदि से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।

निजता के लिए खतरा: डिजिटल मुद्रा के लिए किसी व्यक्ति की कुछ बुनियादी जानकारी एकत्र करनी आवश्यक होती है, ताकि व्यक्ति यह साबित कर सके कि वह उस डिजिटल मुद्रा का धारक है।

पाइका विद्रोह

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने 'पाइका विद्रोह' (Paika Rebellion) के संदर्भ में निम्नलिखित अनुशंसा करते हुए कहा है, कि

"ओडिशा में हुए वर्ष 1817 के 'पाइका विद्रोह' को स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ एक जन-विद्रोह की शुरुआत के रूप में मानते हुए इस विद्रोह को कक्षा 8 की 'राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद' (NCERT) इतिहास की पाठ्यपुस्तक में केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाएगा।"

'पाइका' कौन थे?

16 वीं शताब्दी के बाद ओडिशा में कई राजाओं द्वारा 'लगान-मुक्त भूमि' (निश-कर जागीर) और खिताब के बदले सैन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु समाज के विभिन्न समूहों से

CAREER PLUS

लोगों को भर्ती किया गया था, जिन्हें 'पाइका' कहा जाता था।

ये ओडिशा के पारंपरिक भू-स्वामी नागरिक सैनिक थे और लड़ाई के समय योद्धाओं के रूप में कार्य करते थे।

पाइका विद्रोह की शुरुआत:

जब 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने अधिकांश ओडिशा पर कब्जा कर लिया और 'खोरदा' के राजा की पराजय के बाद पाइकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा घटने लगी।

अंग्रेज, इस आक्रामक और युद्धक नयी प्रजा के प्रति अभ्यस्त और सहज नहीं थे, और उन्होंने इस मामले को देखने के लिए 'वाल्टर ईवर' की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया।

इस आयोग ने पाइकाओं को दी गई वंशानुगत लगान-मुक्त भूमि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा वापस लिए जाने की सिफारिश की, और इस सिफारिश का उत्साहपूर्वक पालन किया गया।

इसके बाद अंग्रेज़ों ने पाइकों की जमीन हड़प ली और कंपनी की सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा उनसे जबरन वसूली और उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। इसके जवाब में पाइकों ने विद्रोह कर दिया।

इस विद्रोह का नेतृत्व खोरदा के राजा मुकुंद देव द्वितीय के महासेनापति 'बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमारबार राय' ने किया था।

हालांकि, नमक की कीमत में वृद्धि, करों के भुगतान के लिए कौड़ी मुद्रा का उन्मूलन और खुले तौर पर जबरन वसूली करने वाली भूमि राजस्व नीति आदि विद्रोह के अन्य अंतर्निहित कारण भी थे।

परिणाम:

शुरुआत में 'कंपनी' को इस विद्रोह का सामना करने में काफी कठिनाई हुई, लेकिन मई 1817 तक वे विद्रोह को दबाने में सफल रहे।

कई पाइका नेताओं को फांसी दे दी गई या निर्वासित कर दिया गया। वर्ष 1825 में जगबंधु ने आत्मसमर्पण कर दिया।

पाइका विद्रोह: राष्ट्रवादी आंदोलन या किसान विद्रोह?

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी सेना के बल पर प्रभुत्व में विस्तार करने के दौरान, 'पाइका विद्रोह' भारत में हुए किसान विद्रोहों में से एक है।

इस विद्रोह में कई मौकों पर यूरोपीय उपनिवेशवादियों और मिशनरियों के साथ हिंसक रूप से भिड़त भी हुई थी; इस वजह से पाइकाओं के प्रतिरोध को कभी-कभी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है – और इसलिए 'पाइका विद्रोह' को प्रकृति में "राष्ट्रवादी" माना जाता है।

संविधान की उद्देशिका में संशोधन हेतु विधेयक

संसद के वर्तमान सत्र में, 'संविधान की उद्देशिका' (Preamble) में संशोधन करने हेतु एक 'निजी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) को पेश करने की अनुमति देने के संबंध में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

'संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021' के बारे में:

संविधान (संशोधन) विधेयक 2021 (उद्देशिका में संशोधन), केरल से राज्यसभा में भाजपा सदस्य के जे अल्फोंस (K J Alphons) द्वारा पेश किया गया है।

प्रस्तुत किए गए निजी विधेयक में संविधान की उद्देशिका / प्रस्तावना में शामिल 'प्रतिष्ठा और अवसर की समानता' (EQUALITY of status and of opportunity) शब्दों को संशोधित कर 'प्रतिष्ठा और जन्म लेने, पोषित किए जाने, शिक्षित होने, नौकरी पाने और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के अवसर की समानता' (EQUALITY of status and of opportunity to be born, to be fed, to be educated, to get a job and to be treated with dignity) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक में 'समाजवादी' (Socialist) शब्द को संशोधित कर 'समतामूलक' (Equitable) करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

प्रस्तावित विधेयक में, प्रस्तावना में उद्देश्यों के रूप में "सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच" और "खुशी" को जोड़ने का भी प्रस्ताव किया गया है।

उद्देशिका / प्रस्तावना के उपरोक्त पाठ से चार महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है:

1. **संविधान की शक्ति का स्रोत:** संविधान, भारत के लोगों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है।
2. **भारतीय राज्य की प्रकृति**: संविधान, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।
3. **संविधान के उद्देश्य:** संविधान में, उद्देश्यों के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को निर्दिष्ट किया गया है।
4. **अंगीकृत एवं अधिनियमित करने की तिथि**: 26 नवंबर, 1949।

संविधान के भाग के रूप में उद्देशिका:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-7

बेरुबारी यूनियन केस (1960) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'उद्देशिका' को संविधान का हिस्सा नहीं है।

वर्ष 1973 के **'केशवानंद भारती मामले'** में उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले विचार को उलटते हुए, 'उद्देशिका' को संविधान का हिस्सा बताया। इस मत को **'भारतीय जीवन बीमा निगम मामले' (1995)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा और स्पष्ट किया गया था।

यद्यपि, 'उद्देशिका' संविधान का हिस्सा है; फिर भी,

- यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगती है।
- यह 'वाद योग्य नहीं' (non-justiciable) है, अर्थात इसके प्रावधान किसी भी न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नही किया जा सकता हैं।

'उद्देशिका' और इसकी संशोधनीयता

केशवानंद भारती मामले में, शीर्ष अदालत ने माना कि 'उद्देशिका' में अंतर्निहित संविधान के मूल तत्वों या मौलिक विशेषताओं को 'अनुच्छेद 368' के तहत किसी संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

'उद्देशिका' में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से 'उद्देशिका' में 'समाजवादी', 'पंथ-निरपेक्ष' और 'अखंडता' तीन नए शब्द जोड़े गए थे।

सांसदों के प्रश्नों को स्वीकृत एवं अस्वीकृत किए जाने संबंधी प्रक्रिया

पिछले कुछ सत्रों के दौरान, कुछ सासंदों- विशेषकर विपक्ष के सांसदों द्वारा, अक्सर उनके प्रश्नों को संसद में पूछे जाने की अनुमति नहीं दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।

जिन प्रश्नों को सदन में पूछे जाने की अनुमति नहीं दी गयी, उनमे निम्नलिखित मुख्य सवाल शामिल थे:

- क्या अनिवासी भारतीयों (NRIs) को हवाई अड्डों पर परेशान किया गया और वापस भेज दिया गया?
- क्या चीनी सनिक लद्दाख में 'वास्तविक नियंत्रण सीमा' (LAC) का अतिक्रमण करते हुए भारतीय सीमा में घुस गए हैं?

लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने इस सवालों को अनुमति न देने के कारण, समय की कमी और राष्ट्रीय सुरक्षा बताया है।

सांसदों का सवाल पूछने का अधिकार:

दोनों सदनों में, निर्वाचित सदस्यों को तारांकित प्रश्नों (Starred Questions), अतारांकित प्रश्नों (Unstarred Questions), अल्प सूचना प्रश्नों (Short Notice Questions) तथा 'निजी सदस्यों के लिए प्रश्नों' (Questions To Private Members) के रूप में विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है।

प्रश्नों की ग्राह्यता संबंधी प्रक्रिया:

आम तौर पर, सांसदों के प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है, जो बाद में अनुमोदन की एक कठोर प्रक्रिया से गुजरती है।

- प्रश्नों की ग्राह्यता को शासित करने वाली शर्तें राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 47-50 में दी गई हैं।
- ग्राह्यता संबंधी शर्तों को पूरा करने वाला कोई प्रश्न, प्राप्त होने के बाद सचिवालय उसे संबंधित मंत्रालय को भेजता है। मंत्रालय से तथ्य प्राप्त होने के बाद, 'स्वीकार्यता' के लिए प्रश्न की आगे जांच की जाती है।
- प्रश्नों की अंतिम सूची मंत्रियों के लिए भेज दी जाती है, जिसके आधार पर वे अपने उत्तर तैयार करते हैं।

तारांकित, अतारांकित एवं अन्य श्रेणियों के प्रश्नों के बारे में:

तारांकित प्रश्न (Starred Questions): यह वह सवाल होते हैं, जिसका सदस्य, सभा में मंत्री से मौखिक उत्तर चाहते हैं और पहचान के लिए इन प्रश्नों पर तारांक बना रहता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के पश्चात् सदस्यों द्वारा उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions): इन प्रश्नों का लिखित उत्तर मंत्रियों द्वारा दिया जाता है जिन्हें प्रश्न काल के अंत में सभा पटल पर रखे गये मान लिया जाता है। इस प्रकार इसे मौखिक उत्तर के लिए नहीं पुकारा जाता है और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Questions): ऐसे प्रश्नों को तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए निर्धारित समय से कम समय पर प्रश्न काल के पश्चात् अथवा प्रश्न काल न हो तो कार्यसूची के प्रथम मुद्दे के रूप में सभा में मौखिक रूप से पूछा जा सकता है।

इन प्रश्नों को ऐसी विषय-वस्तु से संबंधित होना चाहिए जिन्हें सभापति अत्यावश्यक लोक महत्व का समझे। सदस्य द्वारा मौखिक उत्तर हेतु पाने के लिए, अविलम्बनीय लोक महत्व से संबंधित प्रश्न की सूचना दी जा सकती है और जिसे

CAREER PLUS

एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट 10 दिन की सूचनावधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न को 'अल्प सूचना प्रश्न' के नाम से जाना जाता है।

'निजी सदस्यों के लिए प्रश्नों' (Questions To Private Members): लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 40 के तहत या राज्य सभा के नियम 48 के तहत एक निजी सदस्य को एक प्रश्न को संबोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि उस प्रश्न की विषयवस्तु किसी विधेयक, संकल्प या सभा में कार्य संचालन से संबंधित अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी है।

किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं?

- **राज्य सभा में**, विभिन्न मानदंडों के अतिरिक्त, प्रश्न 'सटीक, विशिष्ट और केवल एक मुद्दे के लिए सीमित होने चाहिए; उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिये सर्वथा आवश्यक न हो; यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिये उत्तरदायी होना पड़ेगा; और उसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होने चाहिए।
- **लोकसभा में,** ऐसे प्रश्नों स्वीकार नहीं किया जाता है, जिनके उत्तर पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो; अथवा ऐसे मामले जो किसी न्यायालय या संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन निर्णय के लिए लंबित हैं।

CAMPA फंड

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण' (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) द्वारा अब तक 32 राज्यों को ₹48,606 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

CAMPA फंड के तहत, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को अधिकतम राशि हस्तांतरित की गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य को लगभग 5,700 करोड़ रुपये दिए गए है। इनके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का स्थान आता है, जिनके लिए प्रत्येक को लगभग 3,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

CAMPA फंड क्या हैं?

CAMPA फंड, उद्योगों द्वारा अपनी व्यावसायिक योजनाओं के लिए वन भूमि को नष्ट करने पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में लगभग एक दशक की अवधि में एकत्र की गई 54,000 करोड़ रुपए की राशि, 'प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि' (Compensatory Afforestation Fund – CAF) के दीर्घकालीन लंबित बकाया, से निर्मित 'कोष' है।

CAMPA के बारे में:

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम', 2016 (Compensatory Afforestation Fund Act, 2016) या सीएएफ अधिनियम 2016 (The CAF Act 2016) के अंतर्गत 'CAMPA फंड' को निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण – 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण' (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority – CAMPA) की स्थापना की गयी है।

हालांकि, पिछले अगस्त तक इस फंड के प्रबंधन को नियंत्रित करने संबंधी नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

'प्रतिकरात्मक वनरोपण' क्या है?

'प्रतिकरात्मक वनरोपण' (Compensatory Afforestation) का अर्थ है, कि हर बार जब वन भूमि का खनन या उद्योग जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी को इस वन-भूमि के बराबर क्षेत्रफल में गैर-वन भूमि में वनरोपण के लिए भुगतान करना होता है, या जब इसके लिए गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो अवक्रमित वन भूमि क्षेत्र के दोगुने का भुगतान करना होता है।

निधि वितरण:

नियमों के अनुसार, 'प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि' (CAF) की 90% राशि राज्यों को वितरित की जाती है तथा 10% राशि केंद्र अपने पास रखता है।

इस राशि का उपयोग जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक रूप से उत्पत्ति में सहायता, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को हटाकर उनका पुनर्वासन, मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन, प्रशिक्षण और

जागरूकता, लकड़ी बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति और संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

ACE2 प्रोटीन

ACE2, कोशिका झिल्ली के माध्यम से हमारी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाह्य भाग से संबद्ध करने वाला एक एंजाइम अणु (Enzyme Molecule) होता है।

सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान में, 'एंजियोटेंसिन-कंवर्टिंग एंज़ाइम' (Angiotensin-Converting Enzyme – ACE), एंजियोटेंसिन I (Angiotensin I) नामक एंजाइम को संशोधित कर इसे एंजियोटेंसिन II में परिवर्तित कर देता है, जिससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ जाने से रक्तचाप में वृद्धि होती है।

ऐसी अवस्था में, ACE के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए, ACE2 अणु सक्रिय जाते है, और जिससे रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और रक्तचाप कम हो जाता है।

कोरोनावायरस के 'क्राउन' में स्थित 'स्पाइक्स' हमारी कोशिकाओं में घुसने के लिए ACE2 एंजाइम से जुड़ जाते हैं।

CAREER PLUS